

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: प.1 / प्रति-3 / न.क. / भर्ती / 2024 /

दिनांक:-

विज्ञापन संख्या 01 / 2024
कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापित

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट <https://nursing.rauonline.in/> पर दिनांक 16.12.2024 प्रातः 10.00 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकते हैं, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non -TSP)

| Name of Post कम्पाउण्डर /नर्स जूनियर ग्रेड | No. of Post (s) | Gen. (UR) | | | | S.C. | | | | S.T. | | | | B.C. | | | | M.B.C. | | | | E.W.S. | | | | Horizontal Reservation विशेष योग्यजन (a) OL, (b) LV (c) HH (d) Dwarfism, AAV *WMD | विभागीय कर्मचारियों के लिए | उत्कृष्ट खिलाडी यों के लिए | |
|--|-------------------|--|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | | | | |
| आयुर्वेद विभाग (650) | 645 | 164 | 47 | 19 | 4 | 73 | 20 | 8 | 2 | 54 | 16 | 6 | 1 | 95 | 27 | 11 | 2 | 23 | 7 | 2 | 0 | 45 | 13 | 5 | 1 | 28 | 64 | 12 | |
| | भूतपूर्व सैनिक | 29 | | | | 12 | | | | 9 | | | | 16 | | | | 4 | | | | 8 | | | | | | | |
| | | भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत दिव्यांगजन श्रेणी का बैकलॉग के 2 पद उक्त में सम्मिलित है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Abbreviations Used : Gen.- General, UR- Unreserved, S.C.- Scheduled Castes, S.T.- Scheduled Tribes, B.C.- Backwrd Classes, M.B.C.- More Backward Classes, E.W.S.- Economically Weaker Sections, OL-One Leg, LV-Low Vision, HH-Hard of Hearing , Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, WMD-Without Multiple Disabilities.

अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

| Name of Post अनुसूचित क्षेत्र में (कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड) | No. of Post (s) | Gen. (UR) | | | | S.C. | | | | S.T. | | | | Horizontal Reservation | विभागीय कर्मचारियों के लिए | उत्कृष्ट खिलाडीयों के लिए |
|--|-----------------|-----------|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|---------|---------------|-------|------------|--|----------------------------|---------------------------|
| | | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | विशेष योग्यजन | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (a) OL, (b) LV (c) HH (d) Dwarfism, AAV *WMD | | |
| आयुर्वेद विभाग | 90 | 33 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 3 | 0 | 07 | 09 | 01 |
| | भूतपूर्व सैनिक | 5 | | | | - | | | | 5 | | | | | | |
| भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत दिव्यांगजन श्रेणी का बैकलॉग के 3 पद उक्त में सम्मिलित है। | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट—

1. टी.एस.पी (अनुसूचित) क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। नॉन टी.एस.पी क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे।
2. नॉन टी.एस.पी (गैर अनुसूचित) क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध टी.एस.पी क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन टी.एस.पी एवं नॉन टी.एस.पी क्षेत्र दोनो में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह टी.एस.पी एवं नॉन टी.एस.पी क्षेत्र दोनो में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने कि स्थिति में अभ्यर्थी को टी.एस.पी क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जाएगा।
3. टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है जिसे यथा समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।
4. उपरोक्त पदों को नियमानुसार घटाया, बढ़ाया जा सकेगा।

नोट :-

- 1.कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- 2.कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ.7(10)डी.ओ.पी./ए-11/2023 जयपुर दिनांक 28.07.2023 के अनुसार राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को तीन भर्ती वर्षों तक आरक्षित रखा जायेगा। तीन भर्ती वर्ष पश्चात् पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- 3.किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या इसके विपरित (vice versa) भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- 4.क्षैतिज आरक्षण (Horizontal) के अन्तर्गत आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थी को उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा, जिस वर्ग का अभ्यर्थी है।
- 5.राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
- 6.राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- 7.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public Employment में

- एससी/एसटी/बीसी/एमबीसी/ई.डब्ल्यू.एस./भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
8. बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारां जिले में सहरिया जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
9. विज्ञापित उक्त पदों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 एवं आयुर्वेद विभाग के आदेश क्रमांक 3830 दिनांक 08.10.2022 के अनुसार कम्पाउन्डर-नर्स जूनियर ग्रेड पदों पर सीधी भर्तियों में उपरोक्त निःशक्तजन श्रेणी के निःशक्तजन को आरक्षण का लाभ देय होगा। राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2018 के नियम 5 के अनुसार अधिनियम की धारा 34 में वर्णित विशेष योग्यजन की श्रेणियों को (Persons With Disabilities) 4 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज रूप से देय होगा, जिनको नियम 5 (2) (C) के अनुसार आरक्षित कुल पदों में से प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को यथा संभव बराबर पदों पर आरक्षण दिया जावेगा।

| पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी |
|--|
| (a) OL (b) LV (c) HH (d) Dwarfism, AAV |
| *WMD (Without Multiple Disabilities) |
| Abbreviations Used: OL-One Leg, LV-Low Vision, HH-Hard of Hearing, Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims |

10. उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) देय होगा एवं इसका समायोजन उसी प्रवर्ग में किया जावेगा, जिस प्रवर्ग का अभ्यर्थी है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करे जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ05(31)डी.ओ.पी./ए-II/84 दिनांक 21.11.2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान:- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ05(31)डी.ओ.पी./ए-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं, जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने-

- उक्त सारणी स्तम्भ संख्याक 2 में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्याक 3 में उल्लिखित खेल कूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो-

| क्रम संख्या | अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था | टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम |
|-------------|---|---|
| 1 | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.) | ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन) |
| 2 | एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.) | एशियन गेम्स |
| 3 | दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.) | दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं। |
| 4 | राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.) | राष्ट्रमंडल गेम्स |
| 5 | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ | विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | एशिया ओलम्पिक परिषद से सम्बद्ध एशियन खेल परिसंघ | एशियन चैम्पियनशिप |
| 7 | अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.) | अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैम्पियनशिप |
| 8 | एशियन स्कूल खेल परिसंघ | एशियन स्कूल गेम्स / चैम्पियनशिप |

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट / चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन युनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयुनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप / पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स / नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोट:- कृपया उत्कृष्ट श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण-पत्र हो।

शैक्षणिक योग्यताएं :-

1 शैक्षणिक योग्यता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बी.एस.सी. (आयुर्वेद नर्सिंग), साथ में इन्टर्नशिप परन्तु यह है कि उपरोक्त अर्हक शैक्षणिक योग्यता, जो सीधी भर्ती के लिये नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिये निर्धारित है, आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद अधिनियम 2012 (RAJASTHAN AYURVED NURSING COUNCIL 2012) के प्रावधानों के अनुसार अंतिम दिनांक तक रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। वही अभ्यर्थी पद के लिये आवेदन करने के लिये पात्र होगा।

| | |
|--|--|
| शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान | उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 15.01.2025 तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक इन्टर्नशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है। |
| पे मैट्रिक्स एवं अन्य प्रावधान | पे मैट्रिक्स लेवल L -10 नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा। |
| आयु सीमा | दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, किन्तु कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2)डीओपी/ए-11/84 पार्ट दिनांक 12.06.2023 के अनुसार "जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।" |

| विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान | | |
|---|--|--|
| क्र.सं. | अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां | अधिकतम आयु में देय छूट |
| 1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS | 5 वर्ष Five Years |
| 2. | सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category | 5 वर्ष Five Years |
| 3. | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS | 10 वर्ष Ten Years |
| 4. | विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women Explanation: - In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce. | अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit |
| 5. | रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve. | |
| 6. | उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules. | |
| 7. | अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules. | |
| 8. | इस सेवा (राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966) के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के समक्ष आखरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। | |

| | |
|-----|--|
| | A person appointed temporarily to the post in the service (The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966) shall be deemed to be within the age-limit had when he was initially appointed even though he has crossed the age limit when he appears finally before the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University Jodhpur and shall be allowed upto two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment. |
| 9. | निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before University had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army. |
| 10. | राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिये ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities. |
| 11. | जो व्यक्ति राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष, एन.एच.एम., डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी नर्स/कम्पाउण्डर के पद पर लगातार काम कर रहा है, को की गई सेवा के बराबर अवधि में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी जो कि अधिकतम पांच वर्ष तक की होगी। The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working as Ayurvedic, Unani And Homoeopathic Nurse/Compounder in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years. |
| 12. | राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। |
| 13. | (अ)- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार गत वर्षों में इन पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है। |

| | |
|--|---|
| | <p>As per DOP Notification No. F.7(6) DOP/A-II/2008 Dated. 23-09-08 “If a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years.”</p> <p>उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत चूँकि विभाग द्वारा वर्ष 2023 में भर्ती की गई है, जिसमें आयु गणना दिनांक 01.01.2024 के आधार पर गणना की गई है। अतः अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के क्रम में नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में कोई शिथिलता देय नहीं होगी।</p> |
| 14. | <p>कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ 2(6)डीओपी/ए-11/90 दिनांक 08.04.2010 के नियम 10 का संशोधन में ऐसे विभागीय कर्मचारी जो कम्पाउण्डर/नर्स ग्रेड के पद के लिए अर्हता रखते हैं, कम्पाउण्डर/नर्स ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए 50 वर्ष तक की आयु तक पात्र होंगे।</p> |
| <p>नोट –</p> <p>(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।</p> <p>(2) विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार देय छूट के पश्चात् अतिरिक्त छूट देय होगी।</p> <p>(3) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।</p> <p>(4) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>(5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।</p> | |
| <p>अन्य विवरण</p> | |
| <p>चयन का आधार</p> | <p>राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (यथा संशोधित) के नियम 19 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय है।</p> <p>1. इन विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अन्तर्गत विज्ञापित पद के सामान कार्य (Similar Work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होंगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नहीं होगा।</p> <p>2. <u>कम्पाउण्डर/नर्स</u> जूनियर ग्रेड पदों की सीधी भर्ती के लिए वरियता सूची उक्त नियमों के नियम 19 एवं तदन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प. 10(11)आयु./2012 पार्ट I दिनांक 4.10.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत तैयार की जावेगी। जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत कार्यानुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंक दिये जायेगे।</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जावेगे (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा) एवं 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत को दिया जायेगा।</p> <p>3. सीधी भर्ती हेतु वरियता सूची तैयार करने हेतु 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (यथा संशोधित) एवं उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत का औसत प्रतिशत दिया जायेगा, अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी अपनी अर्हक परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हैं एवं उसे 3 पूर्ण वर्षों का बोनस अंको का लाभ दिया जाना है, तो उसका प्रतिशत $80 \times 70 \div 100 + 30 = 86$ औसत प्रतिशत होगा एवं यदि किसी अभ्यर्थी जिसे बोनस अंक का लाभ नहीं मिलना है, कि अर्हक परीक्षा में प्राप्तांक 80 प्रतिशत है तो नियुक्ति के उद्देश्य के लिये उसका प्रभावी प्रतिशत $80 \times 70 \div 100 = 56$ अंक प्रतिशत होगा। वरियता सूची तैयार करने हेतु यह प्रक्रिया अपनायी जावेगी।</p> <p>4. विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।</p> <p>5. विभागीय कर्मचारी संवर्ग में चयनित होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विभागीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्त से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) वांछनीय होगा।</p> <p>6. वरियता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे।</p> <p>7. विभाग द्वारा जारी संयुक्त विज्ञापन के अन्तर्गत रिक्तियों को भरने के लिए कॉमन मैरिट सूची जारी की जावेगी। मैरिट सूची जारी होने के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को वरियता कम विकल्प (Merit cum choice) के आधार पर विभाग (आयुर्वेद, होम्यो0, यूनानी) आवंटित किया जावेगा।</p> |
| आवेदन अवधि | दिनांक 16.12.2024 से दिनांक 15.01.2025 रात्रि 23:59 बजे तक |
| आवेदन प्रक्रिया | विज्ञापन प्रकाशन के साथ ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का User Manual विभागीय वेबसाइट https://nursing.rauonline.in/ पर प्रकाशित कर दिया जायेगा। जिसके निर्देशानुसार पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भर सकेगा। |
| <p>ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-</p> <p>1. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में Generic Data को छोड़कर संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अन्तिम दिनांक के पश्चात् 03 दिवस अर्थात् 18.01.2025 तक Online संशोधन कर सकेगा। परन्तु, विधवा/ विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त कटेगरी जोडना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के समय तक ऑफलाईन कुल सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को आवेदन करके वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा।</p> <p>2. ऑनलाईन संशोधन तिथि के उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।</p> | |

पंजीयन शुल्क:-

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3)कार्मिक/क.2/2023-04443 जयपुर, दिनांक 19.04.2023 के अनुसार एकबारीय पंजीयन प्रणाली लागू की गयी है इसलिए यदि आवेदक द्वारा One Time Registration (OTR) एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो उन आवेदकों को अपने SSO ID द्वारा लॉगइन करने के बाद One Time Registration Option पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा।

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी | रु. 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी | रु. 400/- |
| 3. दिव्यांगजन | रु. 400/- |

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।
- (5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/परित्यक्ता /बांरा जिले के सहरिया अभ्यर्थी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों का

- लाभ देय नहीं होगा तथा उसें अनारक्षित श्रेणी में मानते हुए कार्यवाही की जावेगी और अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी का निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा ।
- (6) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं एवं सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक, जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों की पात्रता की जाँच विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी। सत्यापन के समय आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र की दो प्रतियां, समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां एवं मूल प्रलेख सहित विश्वविद्यालय में उपस्थित होना होगा। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच मूल प्रलेखों से करते समय अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो पात्रता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- (8) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (9) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- (10) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बांरा जिले के सहरिया/टी.एस.पी. वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/ विकलांगता/खिलाड़ी/विभागीय कर्मचारी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा ।
2. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होना आवश्यक हैं।
4. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा।
9. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शेष सभी जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), इत्यादि के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र की अन्तिम दिनांक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) तक अर्जित होना आवश्यक है विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा बोर्ड/राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 14(36)कार्मिक/क-2/2007 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 01.12.2021 के अनुसार दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति होगा। निःशक्तजन प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो मान्य होगा), विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक की जावेगी।
10. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है,

भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से की वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि कोई भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। **“कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है”।**

11. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। विधवा एवं परित्यक्ता पर यह नियम लागू नहीं होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी डिक्री/दस्तावेज एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों (एन.आर.एच.एम आदि) में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से सेवारत होने का प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

कार्यालय.....

क्रमांक:—

दिनांक:—

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री.....निवास.....की नियुक्ति.....के आदेश क्रमांक.....दिनांक के द्वारा कम्पाउण्डर/नर्स के पद पर संविदा/अनुबंध/अस्थाई आधार पर.....संस्था/परियोजना में की गई थी, जो इस पद पर दिनांक.....से दिनांक.....तक कार्यरत है/रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि.....वर्ष.....माह.....दिन.....है।

हस्ताक्षर

नाम:—

पदनाम:—

कार्यालय स्टाम्प:—

1. निदेशक होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, निदेशक यूनानी चिकित्सा विभाग, निदेशक आयुर्वेद विभाग/उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग/प्राचार्य मेडिकल/डेंटल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/पीएमओ/कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/निदेशक एसएमयू/निदेशक एसएमयू/निदेशक आर.आर.सी./सरकार द्वारा संचालित परियोजना के लिये परियोजना निदेशक अथवा सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर बोनस अंक देय नहीं होंगे व इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट:— अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक की जावेगी।

विशेष नोट:-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

सूचना :- समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <https://nursing.rauonline.in/> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 0291-2795356 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ,नागौर रोड, करवड, जोधपुर-342037 को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक